# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मु0 जयपुर

**पीठासीन अधिकारी : लक्ष्मीकान्त कटारा , आर.ए.एस.**

**वाद संख्या :–31/2017 (2017/00347)**

पृथ्वीसिंह पुत्र रामनारायण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जाहोता तहसील आमेर जिला जयपुर।

– – –प्रार्थी

**बनाम**

1. प्रभात पुत्र रूडा जाति बलाई निवासी ग्राम जाहोता तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. जगदीश प्रसाद पुत्र धन्नाराम जाति अहीर निवासी ग्राम जाहोता तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. सुन्दरी पुत्री जयनारायण पत्नी जगदीश प्रसाद जाति अहीर निवासी ग्राम जाहोता तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. हरेन्द्र सिंह पुत्र करण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जाहोता तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. राज. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।

– – –अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111**
**भू–राजस्व अधिनियम बाबत पत्थरगढी**

**निर्णय दिनांक :–15.11.2019**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढी प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थी की आराजी भूमि जिसके खाता सं0 नया 223 व पुराना 181 में स्थित आराजी ख0नं0 1478/2 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम जाहोता, पटवार हल्का जाहोता, भू. अभि.निरी.क्षे. जाहोता तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित है जिसके भू अभिलेखित खातेदार काश्तकार प्रार्थी है। तथा मुतदाविया आराजीयात का शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग करते चले आ रहा है। प्रार्थी के उक्त खसरा नम्बर का सीमाज्ञान पूर्व में दिनांक 01.12.2016 को श्रीमान् तहसीलदार साहब आमेर के आदेश क्रमांक भू.अ./2016/6002 दिनांक 26.10.2016 की पालना में सीमाज्ञान पक्षकारान की उपस्थिति में किया जा चुका है।

प्रार्थी अपनी उक्त वर्णित कृषि भूमि का श्रीमान् तहसीलदार आमेर के उक्त आदेशानुसार हुए सीमाज्ञान दिनांक 1.12.2016 के अनुसार पत्थरगढी प्रार्थी करवाना चाहता है पटवारी हल्का व तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 को उक्त सीमाकंन व पत्थरगढी बाबत कोई उज्र हो तो माननीय न्यायालय उन्हें तलब कर प्रार्थी के पक्ष में सीमाकंन व पत्थरगढी कराने के आदेश प्रदान करें। जिससे सीमा के विवाद का निस्तारण हो सके। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 की कृषि भूमि की सीमाएं आपस में मिल हुई है। इस कारण अप्रार्थीगण को इस प्रार्थना पत्र में तहसीलदार व पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर पक्षकार बनाया गया है तथा प्रार्थना पत्र अधीन कृषि आराजी के दक्षिणी दिशा में अन्य आबादी ग्राम जाहोता स्थित है। जिसकी भी पडौसी खातेदारान काश्तकारान को पक्षकार मुकदमा बनाते हुये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 प्रार्थी के कृषि आराजीयात के चारों दिशाओं के पडोसी खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थीगण संख्या में अधिक होने के कारण प्रार्थिगण से रंजीश रखते है तथा प्रार्थीगण द्वारा करवाये गये सीमाज्ञान को राजस्व कर्मचारियों के सामने तो मानने को सहमत हो गये किन्तु उक्त सीमाज्ञान के पश्चात् अप्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान को मानने से दिनांक 9.8.2017 को एक राय होकर इंकार हो गये तथा मौके पर सीमाज्ञान के अनुसार किये अस्थाई चिन्हों को भी मिटाने को आतुर हो रहे है। जिसके कारण यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना लाजमी हो गया जिससे की पत्थरगढी होने के पश्चात पडोसी खातेदार काश्तकारों से आपसी रंजीश व बैर भावना से निजात मिल सके।

प्रार्थीगण को हक अधिकार हासिल है कि वे न्यायालय के आदेशानुसार अपने कब्जेकाश्त कृषि आराजीयात जिसका वर्णन प्रा0पत्र के मद नं0 1 में किया गया है के बाबत पत्थरगढी अप्रार्थी सं0 5 व उसके अधिनस्थ कर्मचारियों के सहयोग से जरिये पुलिस इमदाद करावे व अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 को हुक्म ईम्तनाई से भी पाबंद करवावे की प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि में अप्रार्थी सं0 5 व उसके अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली पत्थरगढी की कार्यवाही में किसी प्रकार की कोई बाधा व मजाहमत मदाखलत पैदा नहीं करें।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि खाता सं0 नया 223 व पुराना 181 में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1478/2 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम जाहोता, पटवार हल्का जाहोता, भू.अभि.निरी.क्षे. जाहोता तहसील आमेर जिला जयपुर की पत्थरगढी जरिये पुलिस ईमदाद से करवाने हेतु तहसीलदार

आमेर को आदेशित व निर्देशित किया जावे तथा अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 को अप्रार्थी सं0 5 द्वारा पत्थरगढी करते समय किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत कारित नहीं किये जाने हेतु पाबंध किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी की गई। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री भगवान सहाय शर्मा ने वकालतनामा एवं जवाब पेश किया। अप्रार्थी सं0 2 व 3 की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा अण्डरटेंकिग दिनांक 9.2.18 दी गयी है तथा अप्रार्थी सं0 4 की ओर से श्री हेमन्त सोगानी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया है। अप्रार्थी सं0 2 लगायत 4 के द्वारा प्रार्थना पत्र को कोई जवाब पेश नहीं किये जाने पर दिनांक 23.10.2018 को उनका जवाब बंद किया गया है। अप्रार्थी सं 05 तहसीलदार आमेर द्वारा प्रार्थना पत्र के संबंध में पत्र क्रमांक : भू.अभि./2019/3323 दिनांक 4.7.19 के द्वारा जाचं रिपोर्ट भिजवायी गयी जो शामिल पत्रावली की गयी।

अप्रार्थी सं0 1 ने अपने जवाब में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को अस्वीकार करते हुये अतिरिक्त कथन किया है कि मिन अप्रार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है जो आराजी ख0नं0 1478/1 रकबा 0.21 है0 का काबिज रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है। जिसने अपने खातेदारी की भूमि ख0नं0 1478/1 रकबा 0.21 है0 पर पिछले 14 वर्षो से विभाजन में प्राप्त भूमि पर तारबंदी कर काश्त करता आ रहा है। वर्तमान में अप्रार्थी ने गेहूं की फसल काटी व लाटी है। प्रार्थी येन केन प्रकारेण एकतरफा में किये गये सीमाज्ञान की आड में मिन अप्रार्थी जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है कि भूमि को येनकेन हडपने चाहता है। प्रार्थी ने प्रार्थना के उनवान शीर्षक में हरेन्द्रसिंह पुत्र करणसिंह का पता गलत अंकित किया है। हरेन्द्रसिंह मालवीया नगर, जयपुर में निवास करता है। प्रार्थी ने प्रार्थन पत्र मद सं0 4 में दक्षिण दिशा में आबादी भूमि होना अभिकथित कर दक्षिण की तरफ भैरूसिंह की आबादी भूखण्ड हैं भैरूसिंह का स्वर्गवास हो गया है उसकी पत्नी शकुन्तला एवं पुत्री मधु प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों के अनुसार आवश्यक पक्षकार है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदा करने की कृपा करें।

अप्रार्थी सं0 5 तहसीलदार आमेर ने जांच रिपोर्ट में अंकन किया है कि ग्राम जाहोता के ख0नं0 1478/2 रकबा 0.20 है0 की खातेदारी पृथ्वीसिंह पुत्र रामनारायणसिंह कौम राजपूत सा0देह खातदोर के नाम दर्ज है। ख0नं0 का सीमाज्ञान दिनांक 1.12.2016 को किया जा चुका है। खातेदार के पडौसी कृषकों में पश्चिम दिशा में ख0नं0 1478/1 रकबा 0.21

है0 जो प्रभात पुत्र रूडा कौम बलाई सा.देह खातेदार है। उत्तर दिशा में ख0नं0 1475 रकबा 3.78 है0 बिदामी देवी ध.प. छीतरमल हि0 1/3, जगदीश प्रसाद पुत्र धन्ना हि0 1/3, सुन्दरी देवी पुत्री जयनारायण ध.प. जगदीश प्रसाद हि0 1/3 कौम अहीर सा. देह खातेदार व पूर्व दिशा में ख0नं0 1478/2320 रकबा 0.08 है0, हरेन्द्रसिंह पिता कर्णसिंह कौम राजपूत सा.देह तथा दक्षिण दिशा में ख0नं0 1733 रकबा 8.36 है0 किस्म गै.मु. आबादी ग्राम पंचायत आबादी (सिवायचक बिना लगानी) राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। भूमि में हिस्से व रहन जमाबंदी अनुसार है। उक्त ख0नं0 पर किसी न्यायालय का स्थन नहीं है। माफी मंदिर अब्दुल रहमान रेफरेन्स से प्रभावित नहीं है।

हमने विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी सं0 04 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अवगत कराया कि विवादित भूमि के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर शहर (उत्तर) मु0 जयपुर में घोषणात्मक राजस्व वाद विचाराधीन है तथा राजस्व वाद की छाया प्रति पेश की है। अवलोकन से सिद्ध होता है कि प्रार्थना पत्र में अंकित ख0नं0 1478/2 रकबा 0.20 है0 भूमि का वाद अन्य न्यायालय में विचाराधीन हैं। जिससे जाहिर है कि भूमि विवादित है एवं पत्थरगढी से मौका स्थिति में परिवर्तन की संभावना है जो अन्य न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की कार्यवाही में दखल कर सकती है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि की पत्थरगढी के आदेश दिया जाना न्यायोचित नहीं मानते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित भूमि से संबंधित वाद अन्य न्यायालय में विचाराधीन एवं विवादास्पद होने के परिणामस्वरूप खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया।

आज दिनांक **15.11.2019** को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Katara
Date: 2020.01.22 13:21:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: